

FORM NO.III

फर्द अहकाम
(नियम 26)

अज अदालत

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

चित्तौड़गढ़ (राज.)

घोसीबाई

बनाम

शम्भु सिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट. नम्बर 452/2023

तारीख हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

04/12/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 रालेरेए के तहत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत, दर्ज रजिस्टर हो।

प्रार्थी श्री / श्रीमती

घोसीबाई

पुत्री

श्री भदनलाल जी शर्मा

निवासी

पुरोहितों का सावंता

तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ ने ग्राम

पुरोहितों का सावंता (पन्ह. दुम्बडिया) स्थित खातेदारी की आराजी नम्बर..... 991

कुल कीता

01

कुल रकबा

1.4300

है० की पत्थरगढी

कराये जाने हेतु निवेदन किया। उक्त आराजी प्रार्थी के खातेदारी की आराजी में दर्ज रेकार्ड है।

पुरोहितों का सावंता (पन्ह. दुम्बडिया)

अतः प्रार्थी की ग्राम

स्थित खातेदारी की भूमि आराजी

नम्बर 991

कुल कीता

01

रकबा

1.4300

है० की बिना किसी कब्जे में दखलन्दाजी

किये, सेंटलमेन्ट नक्शे अनुसार पत्थरगढी करने के आदेश दिये जाते हैं। पत्थरगढी का खर्चा प्रार्थी वहन करेगा। शुल्क 1000=00 रूपये अक्षरे एक हजार रुपये प्रार्थी से वसुल हो, पालना प्राप्त हो। पत्रावली निर्णित हो। पत्रावली पालना प्राप्ति पर पेश हो।

(रामचन्द्र खटीक)

सहायक कलेक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी

चित्तौड़गढ़